राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रूपनारायण बनाम रमेशचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24/11/2022 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद पेश कर लिखावट के आधार पर विभाजन चाहा गया एवं रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि में विशेष भू-भाग मांग रहे है, जिसे कानूनन विभाजन के माध्यम से नही दिया जा सकता है	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लिखावट फर्जी है एवं पक्षकारान के मध्य कभी कोई विभाजन नही हुआ है	अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि पर अपने मकान बने हुए होने का कथन करते हुए मुख्य रोड पर भूमि लेना चाहते है, जबकी कानूनन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन किया जाना बाध्यकारी है	सिविल कोर्ट में दत्तक के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन चल रहा है, जिसमे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गये	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली तनकीयात हेतु कायम थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बगैर सीधे ही बहस समायत कर निर्णय दिनांक 24/11/2022 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों एवं विधिक प्रक्रियाओ की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24/11/2022 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है	अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है, जिस कारण घोषणा की आवश्यकता नही है	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति/लिखावट के आधार पर सही निर्णय पारित किया गया है	प्रतिवादी संख्या 1 भवरा के गोद चला गया तथा उस गोदनामे को केंसिल करवाने के लिए दावा पेश किया गया था एवं दावे के विचाराधीन रहते सहमति के आधार पर भूमि का विधिवत बंटवारा कर लिया गया	अपीलार्थी दत्तक के प्रकरण में तय बिन्दु के कारण अब इस सहमति को मानते नही है	रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त एवं लिखावट के आधार पर बंटवारा चाहा गया	राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 में भी कब्जे काश्त को प्राथमिकता दी गयी है	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रूपनारायण बनाम रमेशचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24/11/2022 पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है। अपीलार्थी की दौराने बहस मुख्य आपत्ति यही रही है कि रेस्पो. द्वारा लिखावट के आधार पर एवं अपने मकान होने का कथन कर मुख्य रोड पर फ्रन्ट की भूमि विभाजन के द्वारा प्राप्त करना चाहते है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट विधिक स्थिति है कि अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय के माध्यम से दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये है एवं किस सहखातेदार को कौनसी भूमि दी जानी उचित है, के सन्दर्भ में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित होने है, उसके उपरान्त भी पक्षकारान के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है एवं इस सब विधिक प्रक्रियाओ के उपरान्त ही अन्तिम डिक्री के माध्यम से यह तय होना है कि किस पक्षकार को बाद विभाजन विवादग्रस्त भूमि में से कौनसी भूमि प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24/11/2022 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचन/विश्लेषण करते हुये निस्तारण कर ही अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/09/2025 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर